भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †2018
31 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

अजा/अजजा/अपिव श्रेणियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना

†2018. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने, वित्तीय सहायता प्रदान करने, प्रशिक्षण प्रदान करने और क्षमता निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट योजनाएँ और पहल की गई हैं;

(ख) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों तक पहुँचने और उन्हें लाभान्वित करने हेतु सरकारी योजनाओं के संबंध में कोई प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन के प्रमुख परिणाम क्या हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ, यथा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) कार्यान्वित्त कर रहा है। इसके अलावा, एमओएफपीआई द्वारा एक केंद्रीय प्रायोजित योजना, यथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) भी कार्यान्वित की जा रही है ।

पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत, एससी/एसटी/ओबीसी उद्यमियों सहित सभी श्रेणियों के उद्यमियों के बीच खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) और उत्पाद विशिष्ट कौशल के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

एमओएफपीआई ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों तक पहुँचने और उन्हें लाभान्वित करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है। तथापि, पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई के अंतर्गत, आवंटित निधि का क्रमशः 8.3% और 4.3% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित है। इसके अलावा, पीएमकेएसवाई के घटक योजना दिशानिर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निम्नलिखित अधिमान्य प्रावधान किए गए हैं:

i . सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए 1.5 गुना की तुलना में निवल संपत्ति की आवश्यकता को मांगे गए अनुदान के बराबर राशि तक घटा दिया गया है;

ii. सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए 20% की तुलना में सावधि ऋण की आवश्यकता को पात्र परियोजना लागत के 10% तक घटा दिया गया है;

iii. सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए 20% की तुलना में इक्विटी आवश्यकता को पात्र परियोजना लागत के 10% तक घटा दिया गया है;

iv. सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए 35% की तुलना में पात्र परियोजना लागत के 50% के बढ़े हुए स्तर पर अनुदान की मात्रा (संबंधित उप-योजनाओं के तहत अधिकतम सीमा के अधीन);

v. खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना परियोजनाओं के संबंध में न्यूनतम परियोजना लागत की आवश्यकता को तीन करोड़ रुपये की तुलना में घटाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है [अन्य घटक योजनाओं के लिए, ऐसा कोई मानदंड निर्धारित नहीं है]

*****